न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र. (आप.प्रक.क.:— 537 / 2014) (संस्थित दिनांक:— 26 / 06 / 2014)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :– गोहद जिला–भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन।

// विरूद्ध //

- 01. गिरीश खटीक पुत्र लटूरीराम खटीक उम्र 58 वर्ष
- 02. जीतू उर्फ जितेन्द्र खटीक पुत्र गिरीश खटीक उम्र 28 वर्ष

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक : 11/01/2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण गिरीश, जीतू उर्फ जितेन्द्र एवं अनिल पर भा.द.सं. की धारा 294, 323/34, 336 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :— 19/06/2014 को सुबह लगभग 07:00 बजे फरियादी वर्षा बानों के घर के दरवाजे के सामने स्थित खटीक मौहल्ला गोहद में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी वर्षा बानों को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी वर्षा बानों की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने फरियादी वर्षा की लात—घूसों एवं डण्डों से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहित कारित की एवं पत्थर फैंककर फरियादी/आहत का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया एवं फरियादी वर्षा को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना एक सारवान निर्विवादित तथ्य है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 19/06/2014 को सुबह लगभग 07:00 बजे फरियादी वर्षा बानो के घर के दरवाजे के सामने स्थित खटीक मौहल्ला गोहद में, आरोपीगण द्वारा फरियादी वर्षा से गाली–गलौच करने, उसकी लात–घूसों एवं डण्डों से मारपीट कर चोट पहुँचाने, पत्थर फैंककर मानवजीवन संकटापन्न करने एवं जान से मारने की

धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी वर्षा बानों द्वारा दिनांक : 22/06/2014 को थाना गोहद पर की जाने पर, थाना गोहद में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक 219/2014 अन्तर्गत धारा 294, 323, 336 एवं 506 भाग।। सहपिठत धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी वर्षा बानों, साक्षीगण गौरी शंकर, अजीज खांन एवं इरफान खॉन के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्तगण गिरीश, जीतू उर्फ जितेन्द्र एवं अनिल के विरूद्ध धारा 294, 323/34, 336 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फॅसाया जाना व्यक्त किया।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपीगण ने दिनांक :— 19/06/2014 को सुबह लगभग 07:00 बजे फरियादी वर्षा बानो के घर के दरवाजे के सामने स्थित खटीक मौहल्ला गोहद में, पत्थर फैंककर फरियादी/आहत का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया?
 - 02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

07. फरियादी वर्षा अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण गिरीश, अनिल एवं जितेन्द्र खटीक को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 23/06/2016 से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व की होकर 07 बजे की है। साक्षी आगे कहती है कि उसकी बच्ची काजल उसके दरवाजे के बाहर लैट्रिंग कर रही थी, तभी आरोपी जितेन्द्र उसे मादरचोद—बहनचोद की गंदी—गंदी गालियाँ देने लगा, उसके बाद वह बच्ची को लेकर घर के अन्दर घुस गई। उसके बाद आरोपीगण ने उसे पकड़ लिया

और उसे थप्पड मार दिया। साक्षी आगे कहती है कि आरोपी जितेन्द्र ने उसे थप्पड मारा था। आरोपी गिरीश उसे गंदी–गंदी गालियॉ दे रहा था, तब दुसरे दिन वह लोग छत पर सो रहे थे, तो आरोपीगण ने उनके घर पत्थर फैंके थे। जब उसने आरोपीगण से पूछा कि पत्थर क्यों फेंंके थे, तो आरोपीगण ने मना कर दिया कि उन लोगों ने पत्थर नहीं फैंके। साक्षी आगे कहता है कि घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना गोहद में की थी, जो प्र.पी.03 है, जिस पर उसकी अंगुठा निशानी है। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का मौका–नक्शा प्र.पी.04 बनाया था, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर प्रश्न पुछे जाने पर मुख्य परीक्षण के पद कमांक 02 में वर्षा बानों अ.सा.03 ने यह दर्शित किया है कि वह यह नहीं बता सकती कि रात्रि के समय उसके घर पर पत्थर आरोपीगण ने फैंके थे, अथवा नहीं। तत्पश्चात् अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न पृछे जाने पर वर्षा अ.सा.०३ ने उनके इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसके घर पर पत्थर फैंके थे, जिससे वह डर गई थी। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा ही पत्थर फेंककर फरियादी वर्षा अ.सा.०३ का मानवजीवन संकटापन्न किये जाने के संबंध में वर्षा अ.सा.03 के मुख्य परीक्षण कथन में ही विभिन्नताएं है, जो कि विरोधाभाषपूर्ण है। प्रति–परीक्षण के पद कमांक 03 में वर्षा अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जिस दिन झगड़ा हुआ था, उस दिन आरोपीगण ने पत्थर नहीं फैंके थे और स्वतः कहा है कि दूसरे दिन फैंके थे। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा ही पत्थर फेंककर फरियादी वर्षों का मानवजीवन संकटापन्न किये जाने के संबंध में वर्षा अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विरोधाभाष पूर्ण होने के कारण संदेहास्पद है।

साक्षी इरफान खान अ.सा.०२ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 23 / 06 / 2016 से लगभग आठ-दस महीने पूर्व की होकर सुबह 08—09 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उसकी पत्नी वर्षा बानों बच्ची काजल को लैट्रिंग कर रही थी, तो गिरीश खटीक ने कहा कि मादरचोद यहाँ लैट्रिंग क्यों करा रही हो, तो उसकी पत्नी ने कहा कि उसका चबुतरा है, वह तो यहीं लैट्रिंग करायेगी। फिर घर में घुसकर सभी आरोपीगण ने उसकी पत्नी से मारपीट की। आरोपी अनिल एवं जितेन्द्र ने उसकी पत्नी से मारपीट की एवं लात-घूसों मारे एवं गिरीश कह रहा था, इसे मारो। साक्षी आगे कहता है कि जब वह रिपोर्ट डालकर आये थे तो आरोपीगण ने उसके घर में खण्डे फैंकना भी शुरू कर दिया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इरफान अ.सा.02 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि तीनों आरोपीगण ने पत्थर फैंके थे, जिससे उसकी पत्नी डर गई थी। उल्लेखनीय है कि मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में इरफान अ. सा.02 का यह कहना है कि जब वह लोग रिपोर्ट डालकर आ गये थे, तब आरोपीगण ने उसके घर में खण्डे फैंकना शुरू कर दिया था, इसका अर्थ यह है कि यदि आरोपीगण द्वारा कोई पत्थर फरियादी वर्षा बानों अ.सा.03 एवं इरफान अ.सा.02 के घर पर या उनके उपर फैंके भी गये थे, तो वह उनके द्व ारा हस्तगत प्रकरण की रिपोर्ट करने के पश्चात् फैंके गये थे। जिसका अर्थ है कि हस्तगत प्रकरण उक्त पत्थर फैंकने की घटना से संबंधित नहीं है।

- 09. साक्षी अजीज खॉन अ.सा.04 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपीगण द्वारा दिनांक :— 19/06/2014 को सुबह लगभग 07:00 बजे फरियादी वर्षा बानो के घर के दरवाजे के सामने स्थित खटीक मौहल्ला गोहद में, पत्थर फैंककर फरियादी/आहत का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।
- 10. आरोपीगण एवं फरियादी / आहत वर्षा बानों के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख पर है।
- 11. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपीगण ने दिनांक :— 19/06/2014 को सुबह लगभग 07:00 बजे फरियादी वर्षा बानो के घर के दरवाजे के सामने स्थित खटीक मौहल्ला गोहद में, पत्थर फैंककर फरियादी/आहत का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया।

अंतिम निष्कर्ष

- 12. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपीगण गिरीश, जीतू उर्फ जितेन्द्र एवं अनिल के विरूद्ध धारा 336 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः उक्त आरोपीगण को धारा 336 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 13. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

(पंकज शर्मा) (पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद